# Form No. III

# फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

**सीमा जाट** बनाम **लोक सूचना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग**

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **045** सन् **2022**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.07.2022 | सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो बाद जांच पेश हुई। अपीलार्थी सीमा जाट, आशा सहयोगिनी गांव तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सी.डी.पी.ओ. कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ को आवेदन दिनांक 10.06.2022 प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सी.डी.पी.ओ. कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त नहीं होने पर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहॉ यहॉ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सी.डी.पी.ओ. कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं लोक सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सी.डी.पी.ओ. कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है, ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सी.डी.पी.ओ. कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, एवं अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।हमने पत्रावली का अवलोकन किया।<br><br>-S/D-<br>**(अरविन्द कुमार पोसवाल)**<br>**लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी**<br>जिला कलक्टर<br>चित्तौड़गढ़<br>21.07.2022<br><br>सत्यमेव जयते<br>Web Copy - Not Official | |